अशोक कुमार सिंह और अन्य

बनाम

बिहार राज्य और अन्य

22 नवम्बर, 1991

मुख्य न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र न्यायमूर्ति जी० एन० रे और ए० एस० आनन्द

न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971, धारा 2(ख)—न्यायालय के आदेश की जानबूझ कर अवज्ञा करना—न्यायालय के आदेश की जानबूझ कर अवज्ञा किये जाने पर न्यायालय की अवमानना का अपराध गठित होता है—न्यायालय के आदेश की जानबूझ कर अवज्ञा किया जाना निश्चायक रूप से साबित किया जाना चाहिए—न्यायालय के आदेश के त्रुटिपूर्ण निर्वचन मात्र से न्यायालय की अवमानना का अपराध गठित नहीं होता।

सेवा-विधि—प्रशिक्षित अध्यापकों की अनुपलब्धता के कारण ऐसे अन्यथा रूप में अर्हित अप्रशिक्षित अध्यापकों को भी नियुक्त किया जाना चाहिए जिन्हें मात्र प्रशिक्षण और आयु सीमा के आधार पर सेवा में प्रविष्टि से इनकार किया गया है।

याचीगण बिहार राज्य के प्राइमरी शिक्षकों के रूप में कार्य कर रहे थे। उनमें से कुछ शिक्षकों की सेवाओं को समाप्त कर दिया गया था। पटना उच्च न्यायालय के समक्ष सेवा समाप्ति के आदेशों को चुनौती दी गई थी। न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने इस स्थिति को स्वीकार किया था कि शिक्षकों की सेवाएं राज्य द्वारा अनुचित और अवैध भर्ती के कारण समाप्त की गई थी तथा याची किसी भी प्रकार से अनुचित भर्ती किए जाने के जिम्मेदार नहीं थे। खंड न्यायपीठ ने यह निदेश दिया था कि याचियों के मामलों की समुचित रूप से छान-बीन की जाए और उन व्यक्तियों को भर्ती किया जाए जो अपेक्षाओं को संतुष्ट करते हैं। न्यायालय ने यह भी निष्कर्ष निकाला था कि याचियों पर तामील किए गए आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अतिक्रमण करने वाले थे किंतु न्यायालय ने सेवा समाप्ति के

1991(11) eILR(PAT) SC

आदेशों को अभिखंडित नहीं किया था। अपितु यह निर्दिष्ट किया था कि भविष्य में किए जाने वाले चयनों में याचियों को वरीयता दी जाए। याचियों ने सेवा समाप्ति के आदेश को अभिखंडित करने की ईप्सा करते हुए विशेष इजाजत लेकर याचिकाएं फाइल की हैं। इस न्यायालय में तारीख 7.2.91 को विशेष इजाजत याचिकाओं में कुछ निदेश जारी करके बिहार राज्य को निर्दिष्ट किया था कि वह उन शिक्षकों को जो अपनी नियुक्ति के समय अर्हित थे सेवाओं में रखने के लिए चयन प्रक्रिया का निष्पादन करे और अर्हित पाए गए ऐसे शिक्षकों को नियोजन में वापस लिया जाए और सेवाओं की समाप्ति के कारण सेवा में किसी व्यवधान पर विचार किए बिना निरन्तर सेवाओं के सम्पूर्ण फायदे दिए जाएं। न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि नये चयन करने के लिए राज्य को न्यायालय द्वारा दिया गया निदेश और उसके लिए अंगीकृत की जाने वाली प्रणाली राज्य के लिए अंतिम हो गई थी क्योंकि राज्य ने खंड न्यायपीठ के आदेश पर आपत्ति नहीं की थी इसलिए उच्च न्यायालय के उक्त निदेशों में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं थी। न्यायालय ने राज्य को उच्च न्यायालय के निदेशों के अनुसार चयन प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए तीन मास का समय दिया था। इससे यह प्रकट होता है कि न्यायालय के आदेश के पश्चात् बिहार सरकार ने पदच्युत शिक्षकों में से ऐसे प्रवर्गों का अवधारण करने के लिए जो पुन: नियुक्ति के लिए पात्र थे, एक आदेश पारित किया था। इसमें यह मत व्यक्त किया गया था कि कार्यपालिक निदेशों/विनियमों के अधीन केवल प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति के पात्र थे जब कि अप्रशिक्षित शिक्षक अपवादात्मक परिस्थितियों में केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उर्दू और संस्कृत के आरक्षित प्रवर्गों के लिए नियुक्त किए जा सकते थे। इस प्रकार यह अभिकथित किया गया है कि लगभग दो हजार पदच्युत अप्रशिक्षित शिक्षकों में से केवल 81 शिक्षक अर्हित पाये गये थे और उनकी सेवायें कायम रखी गई थीं। याचियों ने अभिकथित किया कि आयुक्त का आदेश पूर्णतया कार्यपालिक निदेशों के प्रतिकूल है और इस न्यायलय के तारीख 7.2.91 के आदेश का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है। विशेष इजाजत याचिका नामंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित—न्यायालय इससे संतुष्ट नहीं हैं कि यह ऐसा मामला है जिसमें यह निश्चायक रूप से कहा जा सके कि प्रत्यर्थियों ने इच्छा से या जानबूझकर या अवमानना के तौर पर इस न्यायालय के तारीख 7.2.1991 के आदेशों का निरादर या अवज्ञा की थी। न्यायालय को यह मामला कार्यपालिक निदेशों और इस न्यायालय के तारीख 7.2.91 के आदेश को गलत निर्बचन करने का प्रतीत होता है इसलिए, यह उपयुक्त मामला नहीं है जिसमें अवमान कार्यवाहियों को आगे बढ़ाया जाए। न्यायालय अवमान कार्यवाहियों को समाप्त करता है और प्रत्यर्थियों के विरुद्ध जारी किए गए नियम को प्रभावोन्मुक्त किया जाता है। (पैरा 10)

चूंकि न्यायालय ने अप्रशिक्षित शिक्षकों के, यदि वे अन्यथा रूप से अर्हित हैं और प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं, सभी प्रवर्गों में नियुक्ति किये जाने के हक को माना है। न्यायालय ने प्रत्यर्थियों को इस न्यायालय के तारीख 7.2.1991 के आदेशों का उचित तौर से अनुपालन करने और जहां प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं वहां ऐसे अप्रशिक्षित शिक्षकों को जो सभी प्रवर्गों में नियुक्ति के लिए अन्यथा रूप से अर्हित हैं, उन पर प्रशिक्षण की शर्त

1991(11) eILR(PAT) SC 1

या उनके लिए आयु वर्जन की शर्त अधिरोपित न करते हुए, चयन करने और नियुक्ति करने को निर्दिष्ट किया है। (पैरा 11)

सिविल अपीली अधिकारिता : 1990 की विशेष इजाजत याचिका संख्याओं 11699, 11700, 11698, 11654, 10190 और 1988 की विशेष इजाजत संख्या 429 में 1991 की अवमान याचिका संख्या 236 से 240 और 263.

पटना उच्च न्यायालय द्वारा 1988 की सिविल रिट अधिकारिता मामला संख्याओं 1014, 1013, 227, 1365 और 1363 में तारीख 11-8-1989 को दिये गये निर्णय और आदेश के विरुद्ध याचिकायें।

याचियों की ओर से श्री प्रशांत भूषण

प्रत्यथियों की ओर से श्री पी० डी० शर्मा

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति ए० एस० आनन्द ने दिया।

न्या० आनन्द—प्रत्यर्थियों के विरुद्ध कतिपय निदेश देने और अवमान कार्यवाहियां आरम्भ करने की ईप्सा करते हुए फाइल की गई, ये याचिकायें संक्षेप में निम्न परिस्थितियों से उद्भूत हुई हैं :—

सुसंगत समय पर याची बिहार राज्य में प्राइमरी स्कूल शिक्षकों के रूप में कार्य कर रहे थे। कुछ शिक्षकों की सेवाओं को समाप्त कर दिया गया था। पटना उच्च न्यायालय के समक्ष नियुक्ति की समाप्ति के आदेशों को चुनौती दी गई थी और उक्त न्यायालय की एक खंड न्यायपीठ ने तारीख 11-8-1989 के निर्णय द्वारा इस स्थिति को स्वीकार किया था कि शिक्षकों की सेवायें, राज्य द्वारा अनुचित और अवैध भर्ती के कारण समाप्त की गई थीं। उच्च न्यायालय का यह मत था कि याची किसी भी प्रकार से अनुचित भर्ती के लिए जिम्मेदार नहीं थे। खंड न्यायपीठ ने राज्य को निदेश दिया था कि याचियों के मामलों की समुचित रूप से छान-बीन करे और उन व्यक्तियों को भर्ती करे जो अपेक्षाओं को संतुष्ट करते हैं। खंड न्यायपीठ ने निम्न मत व्यक्त किया था :

> "इस मामले के तथ्यों को देखते हुए यह मत व्यक्त करते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो नियुक्ति के लिए अर्हता रखते हैं, अन्य अर्हत अभ्यर्थियों की अधिमानता में पदों पर विचार किये जाने और नियुक्ति किये जाने के पात्र हैं। तदनुसार हम, प्रत्यर्थियों को निर्दिष्ट करते हैं कि याचियों और अन्य व्यक्तियों से, जो इस कारण पद से हटा दिये गये हैं क्योंकि वे जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा अवैध रूप से भर्ती किये गये थे, आवेदन आमंत्रित करते हुए संथाल परगना और देवधर के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्तियां करने के लिए कार्यवाही करे और यदि वे पात्रता की शर्तों को संतुष्ट करते हैं तो उनका चयन करके नियुक्ति करें। ऐसा करने में प्रत्यर्थी राज्य याचियों में से किसी ऐसे मामले में, जो वृत्तिका पर सेवा की कालावधि के दौरान अधिक आयु के हो चुके हैं और पद से हटा दिये गये हैं, आयु सीमा में छूट देनी

1991(11) eILR(PAT) SC

होगी। याची और/या कोई अन्य अभ्यर्थी जो याचियों को पद से हटा देने के कारण हुई रिक्तियों पर नियुक्त हुए थे और जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा नियुक्त किये गये अन्य व्यक्ति जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा उनकी अवैध रूप से की गई नियुक्ति के किसी फायदे का दावा नहीं करेंगे, किंतु विधि के अनुसार अपने चयन और नियुक्ति के फलस्वरूप परिलब्धियों और अन्य फायदों को प्राप्त करने के हकदार होंगे।"

2. न्यायालय ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि याचियों पर तामील किए गए आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अतिक्रमण करने वाले थे। किंतु न्यायालय ने सेवा समाप्ति के आदेशों को अभिखंडित नहीं किया था अपितु यह निर्दिष्ट किया था कि भविष्य में किए जाने वाले चयनों में याचियों को वरीयता दी जायेगी। याचियों ने सेवा समाप्ति के आदेशों को अभिखंडित करने की ईप्सा करते हुए विशेष इजाजत याचिकायें फाइल की हैं।

3. इस न्यायालय ने तारीख 7.2.1991 को विशेष इजाजत याचिकाओं में कतिपय निदेश जारी किए थे। बिहार राज्य को निर्दिष्ट किया गया था कि वह उन शिक्षकों को, जो अपनी नियुक्ति के समय अर्हित थे, सेवाओं में रखने के लिए चयन प्रक्रिया का निष्पादन करे और यह कि अर्हित पाये गये ऐसे शिक्षकों को नियोजन में वापस लिया जाये और सेवाओं की समाप्ति के कारण सेवा में किसी व्यवधान का विचार किए बिना निरन्तर सेवा के संपूर्ण फायदे दिये जायें। इस न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि नए चयन करने के लिए राज्य को न्यायालय द्वारा दिया गया निदेश और उसके लिए अंगीकृत की जाने वाली प्रणाली राज्य के लिए अंतिम हो गई थी क्योंकि राज्य ने खंड न्यायपीठ के आदेश पर आपत्ति नहीं की थी इसलिए उच्च न्यायालय के उक्त निदेशों में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं थी। न्यायालय ने राज्य को उच्च न्यायालय के निदेशों के अनुसार चयन प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए तीन माह का समय दिया था। प्रक्रिया को पूरा करने के लिए निश्चित की गई परिसीमा तारीख 30 जून 1991 थी। न्यायालय ने निम्न मत व्यक्त किया था :—

> "चयन की उपयुक्तता पर विचार करते समय तत्समय प्रवृत्त उन नियमों पर विचार किया जाना चाहिए था जिनके अधीन शिक्षकों की भर्ती की गई थी और किसी परिवर्तित नियम के आधार पर निरर्हता अधिरोपित नहीं की जाएगी। राज्य को उन शिक्षकों के दावों पर तत्समय प्रभावी निबंधनों के अनुसार विचार करने की स्वतंत्रता होगी जो परिवर्तित नियमों के पश्चात् आये है। हम उच्च न्यायालय के निदेश को दोहराते हैं कि शिक्षकों के लिए उनके चयन में आयु का वर्जन बाधा नहीं होगा।
>
> उन शिक्षकों को, जिन्होंने पूर्व में सेवा की है किंतु सेवा समाप्ति के कारण उनकी सेवा में व्यवधान हुआ है, वेतन के संदाय और इसी भांति सेवा में ज्येष्ठता और अन्य सेवा लाभों दोनों में पूर्व सेवा का लाभ मिलेगा।"

4. इससे यह प्रकट होता है कि इस न्यायालय के तारीख 7-2-1991 के आदेश के पश्चात् आयुक्त एवं सचिव, मानव संसाधन विभाग, बिहार सरकार ने पदच्युत शिक्षकों में से ऐसे प्रवर्गों का अवधारण करने के लिए, जो पुनः नियुक्ति के लिए पात्र थे, तारीख 28-6-91

को एक आदेश पारित किया था। आयुक्त ने यह मत व्यक्त किया था कि कार्यपालिक निदेशों/विनियमों के अधीन केवल प्रशिक्षित शिक्षक दोनों प्रवर्गों में नियुक्ति के पात्र थे जबकि अप्रशिक्षित शिक्षक अपवादात्मक परिस्थितियों में केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उर्दू और संस्कृत के आरक्षित प्रवर्गों के लिए नियुक्त किये जा सकते थे। दूसरे शब्दों में, आयुक्त का निष्कर्ष यह था कि वे अप्रशिक्षित शिक्षक जो पूर्वोक्त चारों प्रवर्गों में से किसी से सम्बन्धित नहीं थे, अपितु साधारण प्रवर्ग से संबंधित थे, नियुक्ति के पात्र नहीं थे। इस प्रकार यह अभिकथित किया गया है कि लगभग दो हजार पदच्युत अप्रशिक्षित शिक्षकों में से, केवल 81 शिक्षक अर्हित पाये गये थे और उनकी सेवायें कायम रखी गई थीं। याचियों ने अभिकथित किया कि आयुक्त का आदेश पूर्णतया कार्यपालिक निदेशों के प्रतिकूल है और यह इस न्यायालय के तारीख 7-2-1991 के आदेश का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करता है।

5. याचियों की ओर से विद्वान ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री शांतिभूषण ने निवेदन किया है कि आयुक्त ने बिहार राज्य में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित कार्यपालिक निदेशों/विनियमों का पूर्णतया गलत निर्वचन किया है और इस न्यायालय के तारीख 7-2-1991 के आदेशों का जानबूझ कर उल्लंघन किया है।

6. बिहार राज्य की ओर से विद्वान काउंसेल श्री बी० बी० सिंह, ने जवाब में दलीज दी कि इस न्यायालय के तारीख 7-2-1991 के आदेश का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था और आयुक्त ने कार्यपालिक आदेशों/विनियमों का सही निर्वचन किया था और उक्त निर्वचन को दृष्टिगत करते हुए इस न्यायालय के निर्णय का अर्थ लगाया था, इसलिए उसने कोई अवमानना कारित नहीं की थी। विद्वान काउंसेल ने दलील दी कि आयुक्त द्वारा किया गया निर्वचन ग्रहण किये जाने योग्य है।

7. हमने बिहार गैर-सरकारी प्राथमिक विद्यालय (नियंत्रण-ग्रहण) अध्यादेश, 1976 की क्रियाविधि से संबंधित कार्यालय पत्रों/आदेशों इत्यादि के प्ररूप में जारी किये गये कार्यपालिक निदेशों/विनियमों और विशेष रूप से "प्रतीक्षा सूची को तैयार करने और शिक्षकों की नियुक्ति" (पैरा 1) और "नियुक्ति और प्रतीक्षा सूची के लिए अभ्यर्थी की अर्हताओं" (पैरा 2) से संबंधित निदेशों का परिशीलन किया है। अन्य बातों के साथ निदेश यह उपबंध करते हैं कि शिक्षकों की नियुक्ति करते समय आई० एस० सी० प्रशिक्षितों को आई० एस० सी० प्रशिक्षण के आधार पर नियुक्त किया जायेगा और विज्ञान के साथ मैट्रिक प्रशिक्षितों को मैट्रिक प्रशिक्षण के आधार पर नियुक्त किया जायेगा। जहां पूर्वोक्त अर्हताओं के अभ्यर्थी अपेक्षित संख्या में उपलब्ध नहीं हैं वहां पूर्वोक्त से अधिक कथित अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों को भी नियुक्त किया जा सकता है। प्रत्येक प्रवर्ग में अभ्यर्थियों के नाम वर्षानुसार निम्नलिखित रीति में लिखे जायेंगे :—

> "शैक्षणिक और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्राप्त अंकों के आधार पर सर्वप्रथम मैट्रिक प्रशिक्षित, इसके पश्चात् आई० ए०, आई० एस० सी० प्रशिक्षित और तत्पश्चात् प्रशिक्षित स्नातक के नाम लिखे जायेंगे और उनकी नियुक्तियां तदनुसार की जायेंगी"

1991(11) eILR(PAT) SC 1

तथापि पैरा 2 का उपखंड (घ) निम्न उपबंध करता है :—

"प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के नामों के पश्चात् प्रत्येक प्रवर्ग के अप्रशिक्षित अभ्यर्थियों के नाम प्राप्त अंकों और अर्हता के अनुक्रम में लिखे जायेंगे।"

पैरा 2 का उपखंड (च) निम्न प्रकार है :—

"भिन्न शैक्षणिक अर्हताओं के अप्रशिक्षित अभ्यर्थी, विशेष परिस्थितियों के अधीन, जबकि प्रशिक्षित अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं, आरक्षित प्रवर्ग में नियुक्त किये जा सकते हैं।"

पैरा 2 का उपखंड (1) निम्न प्रकार है—

"मैट्रिक या इससे अधिक की अर्हता रखने वाले अप्रशिक्षित अभ्यर्थी मैट्रिक अप्रशिक्षित (माध्यमिक प्रशिक्षित) के आरंभिक वेतनमान में नियुक्त किये जा सकते हैं।"

8. कार्यपालिक आदेशों/निदेशों को एक साथ पढ़ने पर यह प्रकट होता है कि अप्रशिक्षित अभ्यर्थी भी प्रत्येक प्रवर्ग में नियुक्ति के लिए सक्षम हैं किंतु केवल तभी जबकि प्रशिक्षित शिक्षक विशिष्ट प्रवर्ग में उपलब्ध नहीं हैं। वस्तुतः प्रशिक्षित शिक्षकों को क्रमानुसार अप्रशिक्षित शिक्षकों के मुकाबले में प्राथमिकता दी जाएगी।

9 इस प्रकार आयुक्त द्वारा किया गया निर्वचन सही नहीं है और यदि उक्त निर्वचन को ग्रहण किया जाता है तो यह इस न्यायालय के तारीख 7-2-1991 के आदेश के प्रभाव को समाप्त करने वाला होगा और उक्त आदेश के उस उद्देश्य को ही विफल कर देगा जिसकी इस उपबंध में ईप्सा की गई थी कि सभी स्कूलों में शिक्षक होने चाहिए। न्यायालय ने इस स्थिति पर विचार किया था कि बिहार के संथाल परगना के प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की अत्यंत कमी थी जिसके कारण अधिकतर स्कूल बंद कर दिए गए थे और इसलिए स्थिति का सामना करने के लिए ऊपर उद्धृत किए गए निदेशों को जारी किया गया था। न्यायालय ने उच्च न्यायालय के निदेशों को दोहराया कि नए चयन करते समय आयु का वर्जन शिक्षकों के लिए प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालय का आदेश सभी प्रवर्गों के अप्रशिक्षित शिक्षकों पर भी लागू होता था। आयुक्त ने ऐसा आदेश किया है जो हमारे मत में इस न्यायालय और उच्च न्यायालय की खण्ड-न्यायपीठ द्वारा दिए गए निदेशों के अनुसार नहीं है। शिक्षकों की कमी के कारण अनेक स्कूलों के बंद होने से उत्पन्न हुए मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में न्यायालय के निदेशों ने, अन्य बातों के साथ, यह उपबंध किया कि यदि प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध न हों तो अप्रशिक्षित शिक्षक न केवल आरक्षित प्रवर्गों में अपितु अन्य प्रवर्गों में भी चयन और नियुक्ति किए जाने के हकदार थे और अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए आयु का वर्जन न रखते हुए वे अन्यथा रूप से अर्हित हों।

10. अभिलेख की सामग्री और पक्षकारों की ओर से विद्वान् काउंसेलों को सुनने के पश्चात् हम इससे संतुष्ट नहीं हैं कि यह ऐसा मामला है जिसमें यह निश्चायक रूप से कहा जा सके कि प्रत्यर्थियों ने इच्छा से या जान-बूझकर या अवमानना के तौर पर इस न्यायालय के तारीख 7-2-1991 के आदेशों का निरादर या अवज्ञा की थी। हमें यह मामला कार्य-

1991(11) eILR(PAT) SC 1

पालिक निदेशों और इस न्यायालय के तारीख 7-2-1991 के आदेश को गलत निर्वचन करने का प्रतीत होता है इसलिए, यह उपयुक्त मामला नहीं है जिसमें अवमान कार्यवाहियों को आगे बढ़ाया जाए। तदनुसार हम अवमान कार्यवाहियों को समाप्त करते हैं और प्रत्यर्थियों के विरुद्ध जारी किए गए नियम को प्रभावोन्मुक्त करते हैं।

11 चूंकि न्यायालय ने अप्रशिक्षित शिक्षकों के, यदि वे अन्यथा रूप से अर्हित हैं और प्रशिक्षत शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं, सभी प्रवर्गों में नियुक्ति किए जाने के हक को माना है हम प्रत्यर्थियों को इस न्यायालय के तारीख 7-2-1991 के आदेशों का उचित तौर से अनुपालन करने और जहां प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं वहां ऐसे अप्रशिक्षित शिक्षकों को जो सभी प्रवर्गों में नियुक्ति के लिए अन्यथा रूप से अर्हित हैं, उन पर प्रशिक्षण की शर्त या उनके लिए आयु वर्जन की शर्त अधिरोपित न करते हुए, चयन करने और नियुक्ति करने को निर्दिष्ट करते हैं। राज्य को इस आदेश में व्यक्त किए गए मतों को दृष्टिगत करते हुए, नए चयन की प्रक्रिया को शीघ्रता से और किसी भी दशा में आज से तीन माह के भीतर पूर्ण करना होगा।

12. तदनुसार, याचिकाओं का निपटारा किया जाता है।

याचिकाएं नामंजूर की गईं।

अनू०/ऋ०